(81)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/मा.द./2014 जयपुर, दिनांक : 19 SEP 2014

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त।

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यों की स्वीकृति के संबन्ध में।

संदर्भः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 21.07.2014 एवं पत्र दिनांक 17.09.2014

महोदय,

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 21.07.2014 को अधिसूचना जारी कर महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 1 के पैरा 4 के उप पैरा 2 में यह परंतुक स्थापित किया है कि "जिला कार्यक्रम समन्वयक यह सुनिश्चित करेगा कि लागत की दृष्टि से किसी जिले में किये जाने वाले कम से कम 60 प्रतिशत कार्य भूमि, जल और वृक्षों के विकास के माध्यम से कृषि तथा तत्संबन्धी कार्यकलापों से प्रत्यक्ष रूप से जुडी उपयोगी परिसम्पतियों के निर्माण के लिए किये जावे"(प्रति संलग्न)।

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अनुमत कार्यों की सूची में किस प्रकार के कार्य भूमि, जल और वृक्षों के विकास के माध्यम से कराए जा सकते है एवं जो कि कृषि तथा इसकी गतिविधियों से सीधे जुडे हुए है, के कम में मंत्रालय द्वारा दिनांक 17.09.2014 को पत्र जारी कर ऐसे कार्यों को स्पष्ट किया गया है। मंत्रालय द्वारा जारी पत्र की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि अधिनियम की अनुसूची 1 में किये गये प्रावधानानुसार 60 प्रतिशत कार्य भूमि, जल और वृक्षों के विकास के माध्यम से कृषि तथा तत्संबन्धी कार्यकलापों से प्रत्यक्ष रूप से जुडी उपयोगी परिसम्पतियों के निर्माण के लिए स्वीकृत किये जाने का श्रम करावे।

भवदीय

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(कन्हैयालाल स्वामी)
परि.निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपिः

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा, जयपुर/बाडमेर।
3. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1520] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 23, 2014/श्रावण 1, 1936
No. 1520] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 23, 2014/SHRAVANA 1, 1936

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2014

का.आ. 1888(अ).—केंद्रीय सरकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005, (2005 का 42), जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, उक्त अधिनियम की अनुसूची-I में निम्नलिखित और संशोधन करती है :—

(i) पैरा 4 के उपपैरा (1) में —

(क) मद संख्या II के शीर्ष में "व्यक्तिगत परिसंपत्तियां" शब्दों के स्थान पर "सामुदायिक परिसंपत्तियां या व्यक्तिगत परिसंपत्तियां" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) मद संख्या III के शीर्ष में "एनआरएलएम के लिए" शब्दों के स्थान पर, "जिसके अंतर्गत एनआरएलएम के लिए भी हैं" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) पैरा 4 के उपपैरा (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा :—

"परंतु जिला कार्यक्रम समन्वयक यह सुनिश्चित करेगा कि लागत की दृष्टि से किसी जिले में किए जाने वाले कम से कम 60 प्रतिशत कार्य भूमि, जल और वृक्षों के विकास के माध्यम से कृषि तथा तत्संबंधी कार्यकलापों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी उपयोगी परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए किए जाएं।"